राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (51) ग्राविवि–5/PMAY-G/प्रगति/20–21 जयपुर दिनांक 10/05/2021

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के साथ अन्य योजनाओं से देय लाभ/मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंग :– सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 12.4.21 एवं 12.4.21

संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 12.5.17, 20.9.17, 9.8.19, 5.9.19, 4.10.19, 3.2.20, 22.2.21 एवं 22.4.21

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को महात्मा गांधी नरेगा से 90 अकुशल मानव दिवस एवं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त के अतिरिक्त अन्य योजनाओं यथा उज्जवला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन, डीडीयूजीकेवाई/ सौभाग्य से विद्युत कनेक्शन, एनआरडब्ल्यूपी/जल जीवन मिशन के तहत पेजयल सुविधा, श्रमिक रोजगार कार्ड एवं महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पात्रताधारी परिवारों को भी योजना के प्रावधानानुसार व्यक्तिगत लाभ /अनुदान /कार्य स्वीकृत कराकर लाभान्वित कराने हेतु समय–समय पर निर्देशित किया गया है। इसी कम में ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के कम में विभागीय पत्र दिनांक 22.4.21 के द्वारा सौभाग्य योजना के अंतर्गत अवशेष सभी योजना के लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

योजनान्तर्गत अब तक स्वीकृत 13,36,395 आवासों मे से 11,34,815 आवास (84.51%) आवास पूर्ण हो चुके है। उक्त संबंध में उक्तानुसार निर्देशों के कम में जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत निम्नानुसार योजनावार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है :–

अपना खेत अपना काम	सौभाग्य योना के विद्युत कनेक्शन	उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन	श्रमिक कार्ड जारी	स्वच्छ पेयजल कनेक्शन
74263	321913	312029	110750	226031

ग्रामीण विकास मंत्रालय के संलग्न प्रासंगिक पत्रो के द्वारा अवगत कराया गया है कि "सौभाग्य योजना" की अवधि 31 दिसम्बर, 2021 तक बढाई गई एवं "उज्जवला योजना" के अंतर्गत 1 करोड एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण का लक्ष्य बजट में प्रस्तावित किया गया है, जिसके कम में योजना के लाभार्थियों को पात्रता के अनुसार लाभान्वित किया जावे।

अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र संलग्न कर लेख है कि आप के स्तर से ऊर्जा विभाग एवं एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनान्तर्गत स्वीकृत 13,36,395 आवासों में से शेष सभी पात्र परिवारों को उक्त योजनाओं से शतप्रतिशत लाभान्वित कराया जाना सुनिश्चित करे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

D:\letter PMAYG.docx

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।
6. परियोजना अधिकारी एवं पदेन उप सचिव (मो. एण्ड मू.) ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रा.वि.

D:\letter PMAYG.docx